


दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.1.24	<p>पत्रावलंब पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली कास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 21.1.24 को पेश हों। <i>ndL</i></p>	
21.3.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठारीन अधिकारी महोदय आज.....<i>21.3.24</i> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.3.24 को पेश हो।</p>	
11/3/24	<p>पत्रावली - पेश। वकील अपीलान्त उपर। रेसि. संख्या 1, 612, 613, 614, 615, 616 उ नोटिस अदालत पेश। जो मही पेश पर पेश की पर फु. 511 की 0 पत्रावली वादी तलबी दिनांक 8/5/24 को पेश हो <i>ndL</i></p>	
8.5.24	<p>पत्रावलंब पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली कास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 26.6.24 को पेश हों। <i>ndL</i></p>	
26.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हस्तगत हो गई थी कि आपकी विधि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्वय आपकी विधि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये मने हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय को इजलास सुनवाया गया। पत्रावली केवल सुनार होकर पेश ने कब होकर का तामील तलबी दाखिल दफ्तर हो। <i>ndL</i></p>	

श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झार)